तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख इस हुक्म की जारी हुई
17.2.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 4 के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी हक एवं कब्जा काश्त की है। और राजस्व रिकार्ड में अविभक्त है। प्रार्थी ने वाद के संलग्न नक्शा प्रस्तुत कर उसमें स्थान विशेष पर अपना कब्जा बताते हुए उक्त भूमि के संबंध में विप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थगन की इस्तदुआ चाही है। जबकि भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से वाद के निर्णय के जरिये भूमि विभाजित नहीं होने तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक भू-भाग पर हक होता है। ऐसी सूरत में दोनों पक्षों की एक दुसरे के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करने और मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा दोनों पक्षों को ताफैसला मूलवाद जरिये स्थगन पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम भीमगोड़ा तहसील सिवाना की खसरा नंबर 134 रकबा 2.0315 हैक्टेयर भूमि के संबंध में मौके की यथास्थिति बनाये रखे और एक दुसरे के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.04.13 17:58:48 IST
Reason: SelfAttested